

फर्द अहकाम

निकेतन कुमार बनाम कुंज बिर्मल

अर्ज

नं. 5 का. 12 / 20/12

आज्ञा या
गही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

य प्रार्थना कि वकील का निर्यात

वकील का निर्यात के लिए समय नहीं
है। वकील को इस मामले को छोड़ने का निर्देश
दिया जा रहा है।

क) कानून के अनुसार गौरी का
सम्बन्ध वर्ष 2012 के कानून के अनुसार
रखा जा रहा है।

यदि यह सिद्ध हो कि गौरी का निर्यात
की प्रार्थना का कारण गौरी का निर्यात
है। तो उसे अमान्य माना जाएगा।

निर्णय को अमान्य माना जाएगा।
यदि यह सिद्ध हो कि गौरी का निर्यात
नहीं है तो उसे अमान्य माना जाएगा।
यदि यह सिद्ध हो कि गौरी का निर्यात
है तो उसे अमान्य माना जाएगा।
यदि यह सिद्ध हो कि गौरी का निर्यात
है तो उसे अमान्य माना जाएगा।

अर्जकर्ता